छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 325/ 2010

सुरक्षित रखा गया : 06.10.2018

पारित किया गया : 30.10.2018

मोहम्मद रफीक, आयु- लगभग 50 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अब्दुल कादिर, व्यवसाय- किराना दुकान, निवासी- बखरुपारा, नारायणपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

---- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना छोटे डोंगर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री विष्णु कोष्टा, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री लव शर्मा, अधिष्ठित अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राम प्रसन्न शर्मा

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत सत्र न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण सं. 85/2007 में पारित 08.04.2010 दिनांकित निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसमें उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 448 और 354 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (**xi**) (संक्षेप में "अधिनियम, 1989") के तहत अपराध में सिद्धदोष किया और क्रमशः 6 महीने का सश्रम कारावास तथा रु. 200/- के अर्थदण्ड, तथा 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रु. 500/- के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया।

2. वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्रियां अ.सा.-3 और अ.सा.-4 हैं। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, दोनों अनुसूचित जनजाति की सदस्या हैं और पढ़ाई के लिए कन्या आश्रम, धोदाई में रह रहे थे, जो बस्तर जिले के थाना छोटे डोंगर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अधिकथित है कि 13.10.2006 को आधी रात को जब वे सो रहे थे, तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। आश्रम के प्रभारी ने दरवाजा खोला और पाया कि 4-5 लोग आश्रम में घुस गए और वे दोनों अभियोक्त्री के कमरे में घुस गए और उन्हें रसोई में ले गए। उन्होंने उनकी कमीज के बटन खोलना शुरू कर दिया और उनके शरीर पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। मामला दर्ज किया गया था और विचारण पूर्ण होने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष किया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सुनील कुमार विश्वास (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, यह स्थापित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी ने कोई अपराध किया है जैसा उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है। रायमती (अ.सा.-4), करुण कुमार जैन (अ.सा.-6) के कथनों की विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है और वे अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं करते हैं। अभियोक्त्री (अ.सा.-3) का साक्ष्य भी श्रीमती प्यूपल नुरेटी (अ.सा. -5) के कथन को देखते हुए विश्वसनीय नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष साक्ष्य के उचित समन्वय पर आधारित है और यह अपील के क्षेत्राधिकार

को लागू करने में इस विचारण न्यायालय के किसी प्रकार के हस्तक्षेप को आमंत्रित नहीं करता है।

5. अभियोक्त्री (अ.सा.-3) ने 16.10.2006 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई जिसमें अपीलार्थी का नाम अपराधी के रूप में उल्लिखित किया गया है और अपीलार्थी के लज्जा भंग करने के कृत्य का भी उल्लेख किया गया है। इस साक्षी ने विचारण न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसकी कमीज के बटन खोलकर उसके स्तनों को छुआ। इस साक्षी के संस्करण का प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु बचाव पक्ष के पक्ष में कुछ भी नहीं पाया जा सका। यह साक्षी घटना दिनांक से अपने कथन में दृढ़ है और वह न्यायालय के समक्ष आज तक इस पर स्थिर है। यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी अपराध को साबित करने के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 के अनुसार साक्षियों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। इसने एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उक्ति को स्थापित किया है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। चूंकि घटना दिनांक से साक्षी आरोप पर स्थिर है, इसलिए उसके साक्ष्य को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं है और वह पूरी तरह से विश्वसनीय साक्षी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अब, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थी का कृत्य भा.द.वि. की धारा 354 के तहत रिष्टि के दायरे में आता है। **भा.द.वि. की धारा 354 के अनुसार-** जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। भा.द.वि. की धारा 354 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व हैंः-

(क) कि हमला किसी महिला पर हुआ हो।

(ख) कि अभियुक्त ने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया हो।

(ग) कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो।

7. **ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 63** में प्रतिवेदित **पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह** के मामले में एक प्रश्न उठा था कि क्या एक नाबालिग महिला को लज्जावान कहा जा सकता है जो भंग हो सकता है। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक महिला की लज्जा का सार उसका लिंग है और उसके जन्म से ही उसके पास वह लज्जा है जो उसके लिंग की विशेषता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या लज्जा भंग हुई है, परीक्षण से यह पता चलता है कि क्या अपराधी का कृत्य ऐसा है जिसे एक महिला की शालीनता की भावना को चौंका देने में सक्षम माना जा सकता है। **1995 (6) एस. सी. सी. 194** में प्रतिवेदित **रूपन देओल बजाज (श्रीमती) व एक अन्य बनाम कंवर पाल सिंह गिल व एक अन्य** के मामले में भी यही विचार दोहराया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोक्त्री (अ.सा.-3) के साक्ष्य को देखते हुए, यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने कन्या आश्रम में प्रवेश किया जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए स्थापित किया गया था और आपराधिक बल का उपयोग कर उसकी लज्जा भंग कर दी।अपीलार्थी का कृत्य स्पष्ट रूप से भा.द.वि. की धारा 354 की रिष्टि के दायरे में आता है। उसने अभियोक्त्री के विरुद्ध अपराध करने के आशय से उक्त आश्रम में प्रवेश किया, उसका कृत्य भा.द.वि. की धारा 448 के तहत दंडनीय अपराध में आता है।

9. अभियोक्त्री के कथन में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है जो प्रकरण के मार्ग में आता हो। कोई भी मामूली विरोधाभास जो प्रकरण के मार्ग में नहीं आता है, महत्वहीन है और किसी भी मामूली विरोधाभास के आधार पर, अभियोक्त्री के प्रकरण पर संदेह नहीं किया जा सकता है अतः अपीलार्थी की ओर से दिया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है।

10. अपीलार्थी की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत- **2011 (3) सी. जी. एल. जे. 455** में प्रतिवेदित **उदय सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**; **2011 (3) सी. जी. एल. जे. 458** में प्रतिवेदित **झम्मन उर्फ जयमन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन छ. 243** में प्रतिवेदित **सुरेंद्र अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** तथा दाण्डिक अपील सं. 1420/2000 में इस न्यायालय द्वारा निर्णित **आई. एल. आर. 2017 छ. 2283** में प्रतिवेदित **त्रिभुवन रामधर कश्यप बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)** के प्रकरणों के तथ्य तथा परिस्थितियां इस प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों से भिन्न हैं क्योंकि वे प्रकरण आश्रम में रहने वाली छात्रा के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण में, आश्रम में प्रवेश कर अपराध कारित किया गया है जो गंभीर प्रकृति का है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर संस्था के लिए खतरा है, अतः उद्धरणों से वर्तमान अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (**xi**) के तहत अपराध का संबंध है, अभियोजन पक्ष की ओर से किसी का भी इस संबंध में परीक्षण नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की सदस्या है। जब तक वह अनुसूचित जनजाति की सदस्या नहीं है, तब तक अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (**xi**) के तहत अपराध स्थापित नहीं होता है। अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (**xi**) के तहत अपराध में दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. भा.द.वि. की धारा 354 और 448 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है और उसे एतद्द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

13. विचारण न्यायालय ने भा.द.वि. की धारा 354 के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष के कारावास और भा.द.वि. की धारा 448 के तहत अपराध के लिए 6 माह के कारावास का दण्डादेश दिया। इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलार्थी ने संस्था के विरुद्ध अपराध किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड कठोर,

असमान या अनुचित है अतः यह हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। दण्डादेश वाला भाग भी हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। तदानुसार, एतद्द्वारा अपील खारिज की जाती है।

14. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है अतः उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। विचारण न्यायालय सुपर-सेशन वारंट तैयार करेगी और अपीलार्थी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी और उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसे कारावास के दण्डादेश के शेष भाग को पूरा करने के लिए संबंधित जेल में वापस भेज दिया जाएगा।विचारण न्यायालय 29 जनवरी, 2019 को या उससे पहले अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

सही/-

(राम प्रसन्ना शर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**